फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय इलयास बनाम असलूप बगै0 किस्म मुकदमाः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 आर0टी0एक्ट मिसल नंबरः—	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
29.08.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी इलयास पुत्र मम्मल, जाति जोगी निवासी ग्राम बास डायना, तहसील सीकरी जिला भरतपुर ने अपने मूल—वाद के साथ प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री ललित अवस्थी की एकपक्षीय बहस बाबत जारी करने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। बाद बहस प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः आदेश है किः— प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं अप्रार्थीगण लखवीरसिंह बगै0 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.09.2022 तक विवादित आराजी खसरा नंबर 1514/0.03, 1468/0.29, 1515/0.19, 2519/1454/0.77, 2521/1522/0.12 बाके ग्राम बास डायना तहसील सीकरी पर सायल के कब्जे क़ाश्त खातेदारी की आराजी पर सायला के कब्जे काश्त में मदाख्लत मजाहमत नहीं करें, आराजी के किसी हिस्सा पर नाजायज कब्जा कायम नहीं करें एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हकूक सायला जायल हो। इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के जारी रहने में कोई भी आपत्ति हो तो न्यायालय में स्वयं अथवा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली नियत दिनांक 29.09.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर) राज0	

Scanned with CamScanner